न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी), नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

A-23

पीठासीन अधिकारी : निशा R.A.S.

प्रकरण संख्या : 486/2015 प्रार्थना पत्र

1. श्री वाला पिता गमाना जी भील नि. डाबून तहसील खमनोर
2. श्री कालू पिता ओगडमल उर्फ ओगू जी भील निवासी निचली ओडन तहसील नाथद्वारा

--प्रार्थीगण

बनाम

श्री मन्दिर मण्डल नाथद्वारा जरीये मुख्य निष्पादन अधिकारी मन्दिर मण्डल नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

--विपक्षी

प्रार्थना पत्र धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित : 1. श्री तिलकेश शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थी

2. श्री वल्लभ औदिच्य, पेरोकार मन्दिर मण्डल नाथद्वारा

: : आदेश : :

दिनांक :- 20.02.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि राजस्व ग्राम नाथूवास की खाता सं. 20 मे कुल किता 08 कुल रकबा 5–02 एवं खाता सं. 40 कुल किता 1 कुल रकबा 4–03 एवं खाता सं. 25 कुल किता 11 कुल रकबा 6–14 बीघा की जोत की विशिष्टीया जिनमें से अपेक्षित किसी विद्यमान मार्ग का विस्तार करने या चौडा करने का आशय रखता है। खाता सं.–305 की आराजी सं. 44 रकबा 17–15 एवं आराजी सं. 71 रकबा 25–15 कुल किता 02 कुल रकबा 43–10 बीघा कि मौके पर उक्त आराजीयात में रास्ता विद्यमान है तथा प्रार्थीगण उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है किन्तु राजस्व अभिलेख में उक्त रास्ते का अंकन नही होने से 40 फीट चौडे रास्ते बाबत प्रार्थना पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया जा रहा है।

विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र धारा 251 (1) उपधारा (2) आर.टी.ए. के अनुसार प्रस्तुत चलने योग्य नही है न प्रार्थीगण किसी प्रकार की अनुज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थना पत्र की धारा 2 आवेदक का नाम है, किन्तु उन्हें कोई अधिकार नया रास्ता प्राप्त करने का या चौडा करवाने का नही है। प्रार्थी का अलग से रास्ता विद्यमान है। नगर नाथद्वारा , की नाथूवास में विपक्षी मन्दिर मण्डल के खातेदारी स्वामित्व व आधिपत्य की आराजी सं. 44 व 71 रकबा क्रमशः 17–15 बीघा एवं 25–15 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 43–10 बीघा स्थित है। जिसमें कोई रास्ता आवेदकगण की भूमि पर आने हेतु विपक्षी मन्दिर मण्डल की भूमि पर होकर आने–जाने हेतु कभी भी विद्यमान नही था, न वर्तमान में कोई रास्ता है। प्रार्थीगण इस प्रार्थना

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

पत्र द्वारा रास्ता विपक्षी की कृषि भूमि में से गलत प्राप्त करना चाहता है। मन्दिर मण्डल की उक्त कृषि भूमि आराजीयात में होकर प्रार्थीगण का न तो कभी कोई रास्ता रहा, न वर्तमान में विद्यमान है। यदि कोई रास्ता होता या पूर्व मे कोई रास्ता था तो उसका अंकन राजस्व रेकर्ड में जरूर होता। प्रार्थी ने यह भी नही बताया कि रास्ता कहा से कहा तक जाता है। कितना लम्बा है या था, अतः निवदेन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमावे।

विपक्षी की ओर से मजीद जवाब पेश किया गया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे भूमि आराजी सं. 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, व 70 कुल किता 08 कुल रकबा 05–02 बीघा भूमि आवासीय में परिवर्तित हो चुकी थी तथा वह कृषि भूमि नहीं थी। उक्त परिस्थिति में प्रार्थी ने जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया वह स्वतः निरस्त हो जाता है। उक्त वर्णित आराजी नगरपालिका नाथद्वारा के खाते में आवासीय कार्यवाही के दोरान हो चुकी तथा तत्पश्चात आवासीय में परिवर्तित हो गई है जिसका इन्द्राज भी रेकार्ड मे हो चुका है। प्रार्थी ने यह जानते हुये कि भूमि आवासीय मे परिवर्तित हो चुकी है फिर भी न्यायालय के समक्ष कृषि भूमि बताकर गलत तथ्य प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका प्रार्थी उत्तरदायी है। मानचित्र अनुसार भूखण्ड भी बने हुये है। उक्त प्रार्थना पत्र की आड मे प्रार्थी आवासीय भूमि में जाने हेतु विपक्षी की आराजी भूमि से रास्ता प्राप्त करना चाहता है। जो वैधिक कारण से बाधित है। अतः निवेदन है कि प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

प्रार्थी श्री भानाराम ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थी की कृषि भूमिया आवासीय रूपान्तरण हो चुकी है एवं प्रार्थी को इस प्रकरण में अब पक्षकार नहीं रहना चाहता है। अतः प्रार्थना है कि उक्त प्रकरण से प्रार्थी सं.–1 भानाराम का नाम हटाने का आदेश प्रदान करावें।

उक्त प्रकरण मे विपक्षी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। परन्तु नाम तर्क करने पर कोई आपत्ति नही होने से प्रार्थना पत्र स्वीकार किय गया।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात मे जाने हेतु नियमानुसार रास्ता रेकार्ड मे दर्ज कराया जावे। विपक्षी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन करते हए कथन किया कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे PIL रीट पिटीशन सं. 2858/04 अनवान धीरेन्द्र मनहर भाई व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में राज्य सरकार की ओर से उक्त आराजीयात मे पार्किंग सुविधा विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है जिस पर भी अभी निर्णय पेडिंग है साथ ही विपक्षी की सम्पत्ति ठाकूर जी श्रीनाथजी में वेस्ट करती है जो शाश्वत् नाबालिग है तथा नाबालिग की सम्पत्ति/भूमि किसी को भी किसी भी कार्य के लिये विधिनुसार नही दी जा सकती है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम नाथूवास तहसील नाथद्वारा मे अवस्थित अपनी खातेदारी भूमि खाता सं. 40 कुल किता 1 रकबा 4–03 बीघा व खाता सं. 25 कुल किता 11 रकबा 6–14 बीघा मे जाने हेतु अन्य खातेदार श्री मन्दिर मण्डल नाथद्वारा कुल खसरा 2 रकबा 43–10 बीघा मे से विद्यमान मार्ग का विस्तार करने के आशय से प्रस्तुत किया है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251–क की उपधारा 2 के अनुसार कोई अभिधारी या अभिधारियो का कोई समूह अपनी जोत या यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहुंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारित या चौडा करना चाहता है और मामला पारस्परिक सहमति से तय नही होता है तो ऐसा अभिधारी या यथास्थिति

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेगें और उपखण्ड अधिकारी यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात् उसका समाधान हो जाता है कि यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है ओर यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नही है और अन्य खातेदार की जोत मे से होकर विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले मे पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है तो आदेश द्वारा अनुज्ञात कर सकेगा।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ता जिस भूमि मे से चाहा गया है, वह मन्दिर मण्डल नाथद्वारा के नाम दर्ज है। उक्त भूमि श्रीनाथजी का बीड होकर शाश्वत नाबालिग की भूमि है, जिसका किसी भी माध्यम से अन्तरण किया जाना विधि अनुरूप नही है। प्रार्थी अपनी आराजीयात मे जाने हेतु अन्य दिशाओ से खातेदारो की भूमि से जाने हेतु रास्ता प्राप्त करने के विकल्प हेतु स्वतंत्र है। वादग्रस्त आराजी नं. 44 जिसमे से प्रार्थी द्वारा रास्ता चाहा गया है, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे विचाराधीन PIL संख्या 2858/04 अनवान धीनेन्द्र मनहर भाई व अन्य बनाम राजस्थान राज्य व अन्य मे भी पार्किंग हेतु प्रस्तावित किया जा चुका है, जो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय मे वर्तमान मे विचाराधीन है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे विद्यमान रास्ते के विस्तार व रेकार्ड मे दर्ज कराना चाहा है परन्तु तहसीलदार नाथद्वारा की रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता मौके पर चालू नही है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रस्तावित भूमि शाश्वत नाबालिग की भूमि होकर अन्तरण विधि अनुरूप नही होने व माननीय उच्च न्यायालय मे विचाराधीन होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। परन्तु प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि मे जाने हेतु अन्य खातेदारी भूमि से रास्ता प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

अतः आदेश सुनाया जाता है :–

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क की उपधारा 2 बाबत् विद्यमान मार्ग का विस्तार करने अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 20.02.2019 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निशा)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा, जिला राजसमन्द